झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — षष्ठम् (मॉनसून) सत्र

संख्या-06 — शुक्रवार, दिनांक-29 जुलाई,2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 05.17 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही सत्ता पक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य हिन्दी दैनिक, प्रभात खबर की प्रतियाँ दिखाते हुए आसन से आग्रह करने लगे कि जिन-जिन लोगों का नाम फर्जी पता दिखाकर आदिवासी जमीनें खरीदी गई है, उनके विरूद्ध जाँच कर कार्रवाई की जायँ,

ii- माननीय नेता, प्रतिपक्ष भी जमीन सम्बन्धी दस्तावेज एवं भवन के नक्शे का कागजात हाथ में लेकर अपने स्थान से आसन का ध्यानाकृष्ट करने लगे। इसपर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सम्पूर्ण सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर इसकी जाँच की माँग करने लगे,

iii- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने आदिवासी जमीन खरीदने सम्बन्धी हिन्दी दैनिक, प्रभात खबर में प्रकाशित अपने नाम विषयक समाचार का खण्डन किया,

iv- इस क्रम में शनैः-शनैः झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। माननीय सदस्य, डॉ० अनिल मुरमू वेल में धरने पर भी बैठ गये,

v- सत्तापक्ष के माननीय सदस्य सर्वश्री जानकी प्रसाद यादव, मनीष जायसवाल, साधुचरण महतो, राज सिन्हा, संजीव सिंह, हरिकृष्ण सिंह, राम कुमार पाहन, डॉ० जीतू चरण राम एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कह रहे थे जो भारी शोरगुल के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। इनमें कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा भी अखबारों की प्रतियाँ लेकर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा था।

पक्ष-विपक्ष दोनों ओर से हो रही नारेबाजी के कारण सदन में अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया अतएव सदन की कार्यवाही 11.15 बजे पूर्वा० से लेकर 12.00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा निम्न तथ्य रखे गये-

i- सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल ने आदिवासियों से जुड़े मुद्दों की जाँच कराये जाने का आग्रह आसन से किया जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा, श्री राम कुमार पाहन एवं श्री अनन्त कुमार ओझा ने भी किया,

ii- मॉनसून सत्र के आज अंतिम दिन होने के कारण सदन को सुचारू ढंग से चलने दिये जाने हेतु आसन से बार-बार आग्रह किया गया,

iii- माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने भगवान् बिरसा मुण्डा की बेड़ीयुक्त तस्वीरों के सम्बन्ध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iv- झारखण्ड के कोषागारों द्वारा निर्गत किये जा रहे चेक में आज भी "बिहार सरकार" के अंकित रहने पर माननीय सदस्य, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी,

v- पूर्वी सिंहभूम जिले से सम्बन्धित रिकॉर्ड चाईबासा से मँगाये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री कुणाल षडंगी ने आसन से आग्रह किया,

vi- झारखण्ड राज्य खादी बोर्ड में अनुमानतः 70 से 72 करोड़ रुपये के हुए घोटाले की उच्चस्तरीय जाँच कराये जाने की माँग माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल द्वारा की गयी,

vii- मलेशिया में झारखण्ड के फँसे मजदूरों को छुड़ाये जाने तथा दिनांक- 28.07.2016 को गिरिडीह में नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म मामले की जाँच का भी आग्रह माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने आसन से किया,

viii- माननीय सदस्य, श्री शिवशंकर उरांव ने बिरसा चौक पर भगवान् बिरसा मुण्डा की स्थापित मूर्त्ति के हाथों से बेड़ियाँ हटाये जाने का विरोध करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और कहा कि इससे पूर्वजों के इतिहास का हमें पता नहीं चल पायेगा,

ix- गढ़वा जिले में सुखाड़ तथा फसल बीमा से सम्बन्धित सरकारी राशि को किसानों के बीच वितरित किये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही द्वारा आग्रह किया गया,

x- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने रूपेश स्वांसी, इंस्पेक्टर उमेश कच्छप एवं हजारीबाग के मो० तौफीक के मौत सम्बन्धी जाँच की माँग की,

xi- माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष के सभा सचिवालय स्थित कार्यालय कक्षों में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की तस्वीर लगवाये जाने हेतु आसन से आग्रह किया गया,

इस क्रम में माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार के विरूद्ध कही गयी बात पर पक्ष-विपक्ष के बीच भारी नोंकझोंक होने लगी जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी अतएव सदन की कार्यवाही 12.15 बजे अप० से लेकर 02.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

(अन्तराल के बाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

2.विधायी कार्यः-

क. कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2 से 4, खण्ड-1 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ख. झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

श्रीमती नीरा यादव, माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2 से 39, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लिया गया।

ग. झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2 से 5, खण्ड-1 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लिया गया।

3.सभा मेज पर कागजात का रखा जानाः-

श्री सरयू राय, माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष-2014-15 के स्थानीय निकायों का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखा गया जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधायक शिकायत कोषांग खोले जानें पर उन्हें साधुवाद दिया। इसी क्रम में माननीय सदस्य, श्री बादल ने अपने प्रश्न का विभाग द्वारा गलत जवाब दिये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसे संज्ञान में लिया गया।)

4.गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायेंः-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के षष्ठम् मॉनसून सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी और सरकारी उत्तरोपरांत इसे वापस लिया गयाः-

(क्र०सं०)

क्रम संख्या	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01	डॉ इरफान अंसारी	जामताड़ा जिला के पबिया में डिग्री कॉलेज खोलना	वापस
02	श्री प्रदीप यादव	झारखण्ड राज्य में शराबबंदी लागू करना	वापस
03	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	गिरिडीह में पुल निर्माण	वापस
04	श्री राम कुमार पाहन	टाटीसिल्वे में ई.ई.एफ. मैदान को सार्वजनिक घोषित करना	वापस
05	श्रीमती गीता कोड़ा	जनजातीय भाषाओं में पठन-पाठन होना	वापस
06	श्री सुखदेव भगत	लोहरदगा में कोल्ड स्टोरेज का बनाया जाना	वापस
07	प्रो० जय प्रकाश वर्मा	पहाड़ी काटकर सड़क का चौड़ीकरण करना	वापस
08	श्री स्टीफेन मराण्डी	महेशपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण	वापस
09	श्री अरुप चटर्जी	-	अनुपस्थित
10	श्री अशोक कुमार	महगामा प्रखण्ड में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय की स्वीकृति	वापस
11	श्री हरिकृष्ण सिंह	बरवाडीह रेलवे लाईन को विस्तारित करना	वापस
12	श्री नलिन सोरेन	दुमका जिला के मसानजोर स्थित दायाँ तट नहर का निर्माण	वापस
13	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	पिछड़े वर्गो के आरक्षण प्रतिशत का बढ़ाना	वापस
14	श्री आलमगीर आलम	नये हज हाऊस का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना	वापस
15	श्री ढुलू महतो	खनन क्षेत्र में फिल्टर वाटर की आपूर्त्ति करना	वापस
16	श्री योगेन्द्र प्रसाद	गोमिया में रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाना	वापस
17	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	जामताड़ा जिला के संथाल पहाड़िया उच्च विद्यालय को +2 का दर्जा देना	वापस
18	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	रंका में जर्जर सड़क की मरम्मति	वापस
19	श्री बिरंची नारायण	बोकारो में विस्थापितों को मालिकाना हक दिया जाना	वापस
20	श्री कुणाल षडंगी	झारखण्ड आन्दोलनकारियों को पेंशन दिया जाना	वापस
21	श्री प्रकाश राम	लातेहार जिले में विभिन्न सड़कों का निर्माण किया जाना	वापस

(क्र० पृ० उ० -)

22	श्री राधा कृष्ण किशोर	छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय में पावर सब-स्टेशन का निर्माण कराना	वापस
23	श्री दीपक बिरूवा	चहारदीवारी का निर्माण कराना	वापस
24	श्री राज कुमार यादव	गिरिडीह में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराना	वापस
25	श्री अमित कुमार	सिल्ली में पावर ग्रिड का निर्माण कराना	वापस
26	श्री राज सिन्हा	सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देना	वापस

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा गत दिनों नेताओं एवं अधिकारियों द्वारा आदिवासी जमीनों की खरीदगी सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया कि उक्त समाचार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के मेल से मीडिया को उपलब्ध कराया गया है जो आपत्तिजनक है, इसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी तथा माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा भी किया गया। इसपर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी।

(भारी शोरगुल)

मॉनसून सत्र के अंतिम दिन और अंतिम क्षण में शोरगुल को देखते हुए आसन द्वारा अपनी आंतरिक वेदना को प्रकट करते हुए अव्यवस्था पर विराम लगाये जाने हेतु पूरे सदन से आग्रह किया गया। इसके उपरांत माननीय सदन नेता एवं मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास द्वारा समापन भाषण दिया गया और आग्रह किया गया कि सदन में संसदीय प्रणाली की रक्षा आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नकारात्मक भावों को छोड़कर सकारात्मक तथ्यों को अपनाया जाना व्यापक लोकहित में है।

5.माननीय अध्यक्ष का समापन भाषण:-

चतुर्थ विधान सभा के षष्ठम् मॉनसून सत्र के अवसान होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने समापन भाषण में सर्वप्रथम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए यह कहा गया कि राज्य के सवा तीन करोड़ जनता की आकांक्षाओं के विपरीत यह सत्र समाप्त हो रहा है, यह उचित समय है कि हम यह आकलन करें कि हमने इस विधान सभा सत्र की छः बैठकों के दौरान क्या पाया और राज्य की जनता को क्या दिया? इसके लिए चिंतित हूँ कि क्या संसदीय कार्य व्यवस्था का यही स्वरूप हम आनेवाले युवा पीढ़ियों को देंगे?

पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सदन में व्याप्त अव्यवस्था को आसन द्वारा चिंतनीय विषय बताया गया। विपक्ष द्वारा बार-बार सदन को बाधित करना लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया। सदन में प्रश्नों, ध्यानाकर्षणों, शून्यकालों आदि सूचनाओं को नहीं आ पाने पर उन्होंने खिन्नता प्रकट की। विभिन्न विधेयकों को सभा में लाये जाने के पूर्व इसपर अधिकाधिक समीक्षा की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया। हिन्दी और बांग्ला की प्रख्यात लेखिका महाश्वेता देवी तथा प्रसिद्ध तबला वादक लच्छू महाराज के निधनोपरांत उनकी कृतियों को सदैव यादगार होने सम्बन्धी भावना भी आसन द्वारा व्यक्त की गयी। अंततः आनेवाले त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 29, जुलाई, 2016 ई०।

विनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।